(209)

केन्द्रपोषित योजना

संख्या: 1043 / XV-1/12/ 1(11)/05

प्रेषक,

अरूण कुमार ढौंडियाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 22 अक्टूबर,, 2012

विषयः उत्तराखण्ड राज्य में आर०पी० व पी०पी०आर०रोग का उन्मूलन तथा सर्विलेन्स कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजना अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2256/नि०–5/एक(3)/आर०पी०/2012–13 दिनांक 29 सितम्बर, 2012 के सन्दर्भ में राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में उत्तराखण्ड राज्य में आर०पी० व पी०पी०आर०रोग का उन्मूलन तथा सर्विलेन्स कार्यक्रम (100 प्रतिशत केन्द्रपोषित) योजनान्तर्गत **₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	मद का विवरण	अवमुक्त धनराशि
1.	04–यात्रा व्यय	1.50
2.	08–कार्यालय व्यय	4.50
3.	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.50
4.	42–अन्य व्यय	1.50
	योग	**10.00**

उक्त धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

(1) योजना अन्तर्गत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

(2) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि की फांट कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।

(5) अवमुक्त की गयी धनराशि को दिनांक 31.03.2013 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सहित शासन को उपलब्ध कराई जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–101–पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0103–उत्तराखण्ड राज्य में आर०पी० व पी०पी०आर०रोग का उन्मूलन तथा सर्विलेन्स कार्यक्रम (100 प्र०के०स०) के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में वहन किया जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–90(P)/XXVII-4/2012 दिनांक 11 अक्टूबर, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूण कुमार ढौंडियाल)
सचिव

संख्याः 1043 (1) /XV-1/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कूमायूँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
7. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०एस० वल्दिया)
उप सचिव